Illegal Promotions in MC, Yamunanagar

- 128. Shri Bishan Lal Saini, M.L.A.: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-
 - (a) Whether it is a fact that several officers of Yamunanagar Municipal Corporation have been promoted without completing the Government norms with connivance of senior officers; and
 - (b) Whether it is also a fact an officer has been promoted as XEN from S.D.O and further as SE from XEN in Yamunanagar Municipal Corporation with the connivance of senior officers despite of not having essential eligibility?

ANIL VIJ, URBAN LOCAL BODIES MINISTER

- (a) Sir, neither any period, nor any post, nor any names have been mentioned, so the reply is being submitted on the basis of assumption for a period of last one year, and also as per the latest case, i.e. from 01 January, 2020 onwards, in this regard, it is submitted that no such case has been dealt for promotion in Municipal Corporation, Yamunanagar.
- (b) Sir, no such promotion (SDO to XEN & further XEN to SE) has been made by the Govt. It is further submitted that the only latest case considered for promotion in Municipal Corporation, Yamunanagar is of Sh. Anand Swaroop. His Degree has been recognized valid according to W/Chief Secretary instruction dated 31.01.2020. After considering the requisite qualification and experience as per the provision in their service rules, the competent authorities promoted them by giving relaxation in experience as per service rules.

नगर निगम, यमुनानगर में अवैध पदौन्नति

- 128. श्री बिशन लाल सैनी, एम.एल.ए. : क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृप्या बताएंगे कि—
- (क) क्या, यह तथ्य है कि वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से यमुनानगर नगर निगम के कुछ अधिकारियों को सरकारी नियमों को पूरा किए बिना पदोन्नत कर दिया गया है, तथा
- (ख) क्या यह भी तथ्य है कि यमुनानगर नगर निगम में एक अधिकारी को आव यक योग्यता न होने के बावजूद भी वरिश्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से उप−मण्डल अधिकारी से कार्यकारी अभियंता तथा कार्यकारी अभियंता से अधीक्षण अभियंता पदोन्नत कर दिया गया है?

अनिल विज, भाहरी स्थानीय निकाय मन्त्री

- (क) श्रीमान जी, न तो कोई अवधि, न ही कोई पद, और न ही किसी के नाम का उल्लेख किया गया है, इसलिए पिछले एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमान के आधार पर उत्तर प्रस्तुत किया जा रहा है, और नवीनतम मामले के अनुसार, अर्थात 01 जनवरी 2020 के बाद, इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि नगर निगम, यमुनानगर में पदोन्नति के लिए ऐसा कोई मामला प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- (ख) महोदय जी, सरकार द्वारा ऐसा कोई भी प्रमोशन एसडीओ से एक्सईएन और एक्सईएन से एसई तक नहीं किया गया है। यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि नगर निगम, यमुनानगर में पदोन्नति के लिए एकमात्र नवीनतम मामला श्री आनंद स्वरूप का है। उनकी डिग्री को मुख्य सचिव की हिदायतें दिनांक 31.01.2020 के अनुसार मान्य माना गया है। उनके सेवा नियमों में प्रावधान के अनुसार अपेक्षित योग्यता और अनुभव पर विचार करने के बाद, सक्षम अधिकारियों ने सेवा नियमों के अनुसार अनुभव में छूट देकर उन्हें पदोन्नत किया गया है।